UPUN010050972021

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
पीठासीन अधिकारी का नाम–हरवीर सिंह
आई0डी0 नं0–यूपी 6532

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2539/2021

संदीप सिंह पुत्र स्व0 मुनेश्वर सिंह निवासी ग्राम कोरारी कला, थाना माखी, जिला उन्नाव।

–––अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य –––––––अभियोगी।

अपराध सं0–326/2021
धारा–10 उ0प्र0 गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम।
थाना–माखी, जिला–उन्नाव।

25.11.2021

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त **संदीप सिंह** की ओर से **मुकदमा अपराध संख्या–326/2021, अर्न्तगत धारा–10 उ0प्र0 गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम, थाना माखी, जिला उन्नाव** के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय मे न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.10.2021 को वादी उ0नि0 कल्लूराम यादव मय पुलिस कर्मचारीगण के रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित अपराधी चकलवंशी चौराहे पर मामूर था। जरिये मुखबिर सूचना मिली कि जिला बदर अभियुक्त संदीप सिंह पुत्र स्व0 मुनेश्वर सिंह को उसके तीन अन्य साथियों के साथ मु0अ0सं0 324/2021 धारा 394,411 भा0दं0सं0 से संबंधित माल के साथ गिरफतार किया गया है। अभियुक्त संदीप उपरोक्त थाना माखी के मु0अ0सं0 10/20 उ0प्र0 गुण्डा निवारण अधिनियम में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव के वाद संख्या–02493/2020 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या–डी–2020 106/90002493 में दिनांक 03.09.2021 द्वारा जिला बदर का आदेश पारित किया गया है। जिसमें दिनांक 12.09.2021 को जिला बदर की नोटिस तामील करायी गयी थी। इस प्रकार अभियुक्त संदीप सिंह को जिलाधिकारी, उन्नाव के जिला बदर निर्धारित तिथि के अंदर अवहलेना करते हुए गिरफतार किया गया है, जो उ0प्र0 गुण्डा निवारण अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। घटना की प्राथमिकी संबंधित थाने पर मु0अ0सं0 326/2021 अन्तर्गत धारा–10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी निवारण अधिनियम पंजीकृत करायी गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से राय मशवरे के आधार पर की गयी है। अ0सं0 324/2021 धारा 394,411

भा0दं0सं0 में उसकी जमानत हो चुकी है। उसको व्यक्तिगत रूप से जिला बदर करने की कोई नोटिस तामील नही करवायी गयी है। उसको रंजिशन फसाया गया है। एफ0आई0आर0 में दर्शित स्थान से उसे गिरफतार नही किया गया बल्कि कचेहरी गेट उन्नाव से गिरफतार किया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। वह डेढ माह से उक्त वाद में जिला कारागार में निरूद्ध है। मामला अवर न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि उक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06.10.2021 को प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज कराई गयी है। अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार करने का कथन किया गया है किन्तु अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रश्नोत्तरी दाखिल की गयी है जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06.10.2021 को न्यायालय के समक्ष तारीख पेशी पर उपस्थित था। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त संदीप सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2539/2021 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मु0–75,000रूपये का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए।

(हरवीर सिंह)
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
25.11.2021